13/6/18 पंचायती कैम्प कोर्ट डबली कलां
में रिपोर्ट की गई वकील पार्थी उपस्थित
वकील पार्थी पार्थना पत्र चलाना
नहीं चाहते के हवाला किये जाने
के आधार पर दिनांक 10.11.2016 को
जारी अस्थाई निषेधाज्ञा रद्द किया
जाती है। पंचायती फैसल शुमार होगा
नम्बर से कमी लगाकर दाखिल दफ्तर हो।

पत्रावली नहीं पाई गई
10.5.18
13.6.18

Scanned by CamScanner